

अदालत उप जिला कलेक्टर

मुकाम

बांदाकुई

आगत नं० १०/२०१७

बनाम

ए. वि. १२५५१... १/७... २०१७...  
वाइ १०९... २५... १९९५  
सन

मुकदमा

आपत अर्थात् इकरतफा इकरतफा  
१०/२०१७ दिदिदि

ख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

०६-१-२०२०

पतावाही करा इति वकील फखरुल इकरीम  
आपत अर्थात् इकरतफा इकरतफा पुनी गरी, जाल्मगंज  
ने आपत अर्थात् इकरतफा इकरतफा इकरतफा  
दिनांक १५/१/२००२ एपि पारित इकरतफा डिडी  
१०/१/२००६ मुकदमा नं० १२३/२००६ एडिआपण  
कनाम जपनापण वगैरा ने एपि आपत ले  
परा निपा कि जाल्मगंज को उपरोक्त  
अर्थात् इकरतफा में कमी भी कोई सम्मत  
इकरतफा अर्थात् गरी (अर्थात्) है उपरोक्त  
तामील नहीं करवाइ है जाल्मगंज पर  
विपरीतगण ने इकरतफा आइत करवाया  
है वर्ष २००२ में जाल्मगंज एक अर्थात् गरी  
जपना रहता था गाँव नहीं रहता था, जाल्मगंज  
२,३, गाँव में रहते थे परन्तु उनका भी उक्त  
प्रकल के सम्मत जामत नहीं इयो, इति हाल  
ख. नं० ६७४, ६७५, ६७६ पर रामगीला, जलमंड  
जाल्मगंज कि किलि एपि तथा भाग्यद, मंदी एपि  
एपि एकरतफा के एकरतफा अर्थात् पूर्व है अर्थात्  
वाइ आदि को इति है जाल्मगंज कलजा एपि  
आइत है उपरोक्त इकरतफा में पारित डिडी  
में जाल्मगंज के इति में जाल्मगंज के  
कम मुमि दिमाइ है अर्थात् उपरोक्त इकरतफा  
में पारित डिडी १०/१/२००६ को अर्थात्  
इति दिनांक २०/३/२००८ एपि २३-६-२००८



प्र व :  
काम  
म की ध  
नारी ह

पृ. 10  
व्या

गजानन की हत्या पर धरिनासय  
हुकम या पर्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए


उप जज न्यायाधीश

11

निवेदन किया, अप्राप्य गज वकील  
ने विवेचन डिक्री का मत होगा व  
निवेदन डिक्री को अर्थ 10 वर्ष 2 माह  
होने भी स्थिति में एक वर्ष के निवेदन  
पूर्व का कंड पंक्तियों द्वारा बताया करते  
ले जाते पर खारिज करने का निवेदन

किया। हमने क्वील उपपक्ष भी पक्ष

पर मनन किया, अप्राप्य गज जांचपत्र  
व अप्राप्य गज जब जांचपत्र तथा  
जांचपत्र विवेक एक मूल का प्रारम्भ  
किया; उपरोक्त अन्यायी प्रकृति हरिनासय  
बनाम अपनशयण कोर्टा (दिनांक 15-6-2006  
को डायल करी हम (जब जांचपत्र अप्राप्य गज  
पंक्तियों बनाए है, विवेचन प्रतिपक्षी गज पक्ष  
को जयें सम्म, तब किया गया है; प्रतिपक्षी गज  
के विवेक एक पक्षीय कार्रवाई की गई है  
अप्राप्य गज को निवेदन डिक्री के विवेक  
विवेक प्रकृति अन्तर्गत (सू. नं. 10/07/06  
अधीन प्रकृत करने या इस जो नहीं भी  
गई है परन्तु अप्राप्य गज के अर्थ  
कंड पंक्तियों द्वारा पूर्व का बताया किया  
जाचका है अतः उपरोक्त विवेक में  
अप्राप्य गज जांचपत्र नं. 10/07/06 विवेक  
अन्तर्गत प्रकृत अर्थ दिनांक 15-7-2006 (सू.  
पारित डिक्री 10-7-2006 सु. नं. 123/06 हरिनासय  
बनाम अपनशयण कोर्टा, पोक्कीप नहीं होने  
से खारिज किया जाता है फोर्नल सुमाल एके  
का तकिमील कार्रवाई प्रकृत है।  
निर्णय पुनाया गया।

  
उप जज न्यायाधीश  
बाबीरुई (बोवा)

